कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/2017–18/ 30 दिनांकः–.......11/04/17

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
....(समस्त)

विषयः–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2017–18 से प्रभावी प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में।

प्रसंगः–राज्य सरकार का पत्रांक–प.12(6)शिक्षा–5/आरटीई/2014 जयपुर दिनांक 10.04.17 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2017–18 से प्रभावी प्रवेश प्रक्रिया, भौतिक सत्यापन एवं पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.04.17 को दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के संबध में टाईम फ्रेम आदि के लिए आवश्यक विज्ञप्ति अपने स्तर पर समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें जिससे सभी गैर सरकारी विद्यालयों, अभिभावक एवं संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब जानकारी मिल सके। प्रवेश कार्य, सत्यापन कार्य एवं फीस के पुनर्भरण की नियमित मॉनेटरिंग करावें जिससे सत्र 2017–18 में उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त गतिविधियां समय पर सम्पन्न हो सके। दिशा निर्देश की प्रति आरटीई वेब पोर्टल (rte.raj.nic.in) पर उपलब्ध हैं, डाउनलोड कर लेवें।

उक्त पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा(ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांकः– प.12(6)शिक्षा–5/आरटीई/2014 जयपुर दिनांक 10.04.17 के क्रम में ।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल जयपुर।
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी/उप निदेशक (माध्यमिक) को उक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु पाबन्द करवाने का श्रम करावें।
5. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC, प्रथम तल, खंड 6, शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आज ही उक्त दिशा निर्देशों को आरटीई वेब पोर्टल पर अपलोड कर डिस्पले करायें तथा उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार आरटीई वेब पोर्टल में वांछित परिवर्तन कर निदेशालय को सूचित करवाने का श्रम करावें।
6. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त) ....को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि./बीईईओ कार्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु पाबन्द करें।
7. वरिष्ठ संपादक, शिविरा पत्रिका, को प्रेषित कर लेख है कि इन दिशा निर्देशों को माह अप्रेल 2017 के शिविरा अंक में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा-राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा(ग्रुप–5)विभाग

कमांकःप.12(6)शिक्षा–5/आरटीई/2014 जयपुर, दिनांकः– 10.04.2017

निदेशक
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर–सरकारी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2017–18 से प्रभावी प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर–सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश, भौतिक सत्यापन ब फीस के पुनर्भरण हेतु पूर्व में दिनांक 30.03.2016 को जारी दिशा निर्देशों के अतिक्रमण में नवीन दिशा निर्देश (प्रति संलग्न) एतद् द्वारा प्रसारित किये जाते है। ये दिशा निर्देश शैक्षिक सत्र 2017–18 से प्रभावी होंगे। इस संबंध में निम्नांकित कार्यवाही की जानी हैः–

1. व्यापक प्रचार प्रसार की दृष्टि से इन दिशा निर्देशों के आरटीई वेब–पोर्टल पर एनआईसी के माध्यम से अपलोड करावें।
3. एनआईसी से सम्पर्क कर आरटीई वेब–पोर्टल पर उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करावें।
4. दिशा निर्देशों के संबंध में टाईम फ्रेम आदि के लिए आवश्यक विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें, जिससे सभी गैर–सरकारी शैक्षिक संस्थाओं, अभिभावक एवं संबंधित अधिकारियों को अविलम्व जानकारी मिल सके।
5. प्रवेश, भौतिक सत्यापन एवं फीस के पुनर्भरण की नियमित मॉनिटरिंग करावें जिससे शैक्षिक सत्र 2017–18 में उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त गतिविधियॉ समय पर सम्पन्न हो सके।

संलग्न :– दिशानिर्देश

भवदीय

(उमाशंकर त्रिपाठी)
व.शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, राप्राशिप., जयपुर।
4. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर को आरटीई वेब पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

व. शासन उप सचिव

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर–सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश, भौतिक सत्यापन व विद्यालयों की फीस के पुनर्भरण के लिए दिशा–निर्देश

(सत्र 2017–18 से प्रभावी)

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पृष्ठभूमि	3
2	आरटीई अधिनियम के अनुसार निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश प्रक्रिया	4—9
3	भौतिक सत्यापन प्रक्रिया	10—12
4	पुनर्भरण प्रक्रिया	13
5	परिशिष्ट :—	
	1.आदेश / परिपत्रों का सारांश	14
	2.एन्ट्री कक्षा के संबंध में राज्य सरकार का आदेश	15
	3.प्रवेश के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप	16—17
	4.प्रवेश हेतु रिर्पोटिंग प्रपत्र का प्रारूप	18
	5.प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी उदाहरण	19
	6.सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न	20

अध्याय–1 : पृष्ठभूमि

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीट्स पर ''दुर्बल वर्ग'' एवं ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालक–बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है।

राज्य में इस प्रावधान के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012–13 से प्रवेश दिये जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पात्र प्रवेशार्थियों की फीस का पुर्नभरण भी किया जा रहा है।

राज्य में लगभग 34000 गैर सरकारी विद्यालय संचालित है। इन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को नियमानुसार सम्पन्न करवाना, समय पर पुर्नभरण करवाना एवं समस्त कार्य की मॉनिटरिंग करवाने का कार्य श्रमसाध्य है। इसको दृष्टिगत रखते हुये सत्र 2013–14 से राज्य सरकार ने यह सम्पूर्ण कार्य ऑन लाइन किये जाने का निर्णय लिया।

राज्य सरकार द्वारा NIC के सहयोग से वेब पोर्टल का निर्माण किया गया तथा सत्र 2013–14 से प्रवेश, भौतिक सत्यापन की मॉनटरिंग व पुनर्भरण की प्रक्रिया को ऑन लाइन किया गया। समस्त कार्यों को ऑन लाइन करने से अभिभावकों, विृद्यालयों व शिक्षा विभाग के कार्यालयों का कार्यभार तो कम हुआ ही साथ ही समस्त व्यवस्थाओं में पारदर्शिता भी स्थापित हुई। सत्र 2016–17 के दौरान विद्यालयों में प्रवेश, भौतिक सत्यापन व पुनर्भरण में अनुभव की गयी कुछ समस्याओं व राज्य सरकार द्वारा ''दुर्बल वर्ग'' एवं ''असुविधाग्रस्त समूह'' की अधिसूचनाओं में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक सत्र 2017–18 के लिए आंशिक संशोधित दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे है।

ये दिशा–निर्देश गैर सरकारी विद्यालयों, माता–पिता एवं अभिभावकों तथा विभागीय अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दिशा निर्देश शिक्षा का अधिकार मूल अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियम, 2011 तथा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेश/परिपत्रों के आधार पर तैयार किये गये है। <u>(संलग्न परिशिष्ट–1)</u> यदि इनमें और मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/निर्देश/आदेश में कोई विसंगति लगे तो मूल अधिनियम/ नियम /अधिसूचना/निर्देश/आदेश ही मान्य होंगे।

अध्याय–2 : प्रवेश प्रक्रिया

1. **एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश** – निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियमों के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक **"कमजोर वर्ग"** एवं **"असुविधाग्रस्त समूह"** के बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा हेतु प्रवेश देना होगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा। एन्ट्री लेवल कक्षा के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांकःप 21(19)प्राशि/आयो/2009 जयपुर, दिनांक 17.1.2014 के आधार पर कार्यवाही करनी होगी। जिसके अनुसार **जो निजी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षा की एन्ट्री कक्षा के साथ–साथ कक्षा–1 में भी सीधे प्रवेश दे रहे है, ऐसे निजी विद्यालयों को पूर्व प्राथमिक एवं कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बालकों की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत सीट्स पर पृथक–पृथक ''दुर्बल वर्ग'' एवं ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालकों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा (संलग्न परिशिष्ट–2)। जिन गैर–सरकारी विद्यालयों में दो एन्ट्री कक्षा (पूर्व प्राथमिक एवं कक्षा–1) है ऐसे विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–18 में कक्षा–1 में क्रमोन्नत बालक–बालिकाओं की वास्तविक स्थिति पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। निःशुल्क एवं सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक–बालिकाओं में से जो बालक–बालिका विद्यालय छोड़ चुके हैं या टी.सी. ले जा चुके हैं उनके नामों को पोर्टल से हटाना होगा तथा निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कक्षा–1 में क्रमोन्नत एवं नवीन प्रवेशित बालक–बालिकाओं में से निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक–बालिकाओं की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।**
   (**स्पष्टीकरणः** दो एन्ट्री कक्षा में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश केवल उन्हीं विद्यालयों को देना है जिन विद्यालयों की पूर्व प्राथमिक एन्ट्री कक्षा में सीट्स की संख्या कम है तथा कक्षा–1 में सीट्स की संख्या अधिक है, जैसे किसी विद्यालय में प्रवेश हेतु नर्सरी में 50 सीट्स हैं तथा कक्षा–1 में 100 सीट्स हैं। इस विद्यालय में 50 बालक क्रमोन्नत होकर कक्षा–1 में आते हैं तथा कक्षा–1 की शेष 50 सीट्स पर बालकों को सीधे प्रवेश दिया जाता है। ऐसे विद्यालय को नर्सरी की 50 सीट्स व कक्षा–1 की सीधे प्रवेश वाली 50 सीट्स में से दोनों कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीट्स पर निःशुल्क प्रवेश देने होगे। **जिन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक एन्ट्री कक्षा व कक्षा–1 में सीट्स की संख्या लगभग समान रहती है, ऐसे विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश केवल पूर्व प्राथमिक एन्ट्री कक्षा में ही होगा।** जिन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं अर्थात कक्षा–1 से पहले की कक्षाऐं एक से अधिक हैं उनमें सबसे छोटी कक्षा ही निःशुल्क प्रवेश हेतु पूर्व प्राथमिक एन्ट्री कक्षा होगी।)

2. **प्रवेश के लिए पात्रता** – आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता की शर्ते निम्न प्रकार होंगी :–

2.1 **बालक गैर सरकारी विद्यालय के आस–पास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिएः–** राज्य के आरटीई नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात् नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक–बालिकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहॉ से वांछित संख्या में बालक–बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। **किसी भी स्थिति में शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक–बालिका प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।**

2.2 बालक ''दुर्बल वर्ग'' या ''असुविधाग्रस्त समूह'' से संबंधित होना चाहिए :–

2.2.1 दुर्बल वर्ग– राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक **No-21(19)Edu.-1/E.E/2009** जयपुर, दिनांक 6 अप्रेल, 2017 के अनुसार ''दुर्बल वर्ग'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(a) ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये या उससे कम है।

2.2.2 असुविधाग्रस्त समूह– राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक **No-21(19)Edu.-1/E.E/2009** जयपुर, दिनांक 6 अप्रेल, 2017 के अनुसार ''असुविधाग्रस्त समूह'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(a) अनुसूचित जाति के बालक

(b) अनुसूचित जन जाति के बालक

(c) अनाथ बालक

(d) एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता–पिता/संरक्षक के बालक

(e) युद्ध विधवा के बालक

(f) निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हो।

(g) पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.0 लाख रूपये या उससे कम है।

(h) ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई, बी.पी. एल सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है।

2.3 प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रताः– एन्ट्री क्लास में प्रवेश हेतु बालक की आयु निम्नानुसार दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प के अनुसार होगी जिसका चयन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा किया जायेगा।

2.3.1 प्रथम विकल्पः – आरटीई एक्ट के प्रावधानानुसार –

अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष है तथा जो विद्यालय अपने यहाँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा दे रहे है, उनमें निम्न व्यवस्था अनुसार, एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश के लिये आयु मान्य होगीः–

क. सं.	विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा (कक्षा–1 से पहले)	एण्ट्री लेवल कक्षा का नाम	प्रवेश हेतु आयु
1.	तीन वर्षीय	Pre Primary 3+ (PP.3+)	3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष से कम
2.	दो वर्षीय	Pre Primary 4+ (PP.4+)	4 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम
3.	एक वर्षीय	Pre Primary 5+ (PP.5+)	5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 6 वर्ष से कम

2.3.2 द्वितीय विकल्पः– विद्यालय जिस बोर्ड से सम्बद्व है, उस बोर्ड द्वारा एण्ट्री कक्षा में प्रवेश हेतु यदि कोई आयु सीमा निर्धारित की है अथवा विद्यालय ने अपने स्तर पर 75% गैर आरटीई सीट्स पर प्रवेश हेतु कोई पारदर्शी आयु नीति (Age Policy) बना रखी है तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया है तो 25% निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु भी यह आयु नीति मान्य होगी, लेकिन कोई भी विद्यालय 3 वर्ष से कम तथा 7 बर्ष से अधिक की आयु के बालकों को एण्ट्री कक्षा में प्रवेश नही दे सकेगा तथा किसी भी एण्ट्री कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम व अधिकतम आयु में 2 वर्ष से अधिक का अन्तराल नहीं होगा। विद्यालय यदि आरटीई पोर्टल पर आयु पॉलिसी के द्वितीय विकल्प का चयन करता है तो उसे अपनी एण्ट्री कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु भी दर्शानी होगी।

नोट –

1. उपरोक्त व्यवस्था में एन्ट्री लेवल कक्षा के जो नाम दिये गये है वे विद्यालयों में भिन्न–भिन्न हो सकते है लेकिन प्रवेश के लिये आयु सीमा उपरोक्तानुसार ही होगी।
2. विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक–बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष **01 अप्रैल, 2017** को पूर्ण होनी चाहिए।

2.4 निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्रः– बालक/अभिभावक के निवास के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के सम्बन्ध में बालक/अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली का बिल/पानी का बिल भी मान्य होंगे। निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने की स्थिति में सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी देना होगा।

2.5 निःशुल्क प्रवेश हेतु ''दुर्बल वर्ग'' एवं ''असुविधाग्रस्त समूह'' से संबंधित प्रमाण पत्रः– "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। एचआईवी या केंसर से पीड़ित बालक/अभिभावक के सम्बन्ध में किसी रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र द्वारा दी गयी रिपोर्ट मान्य होगी।

2.6 निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये दस्तावेज (अन्य दस्तावेज होने पर आधार कार्ड में दर्ज आयु से भिन्न आयु न हो):– राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 12 के अनुसार प्रवेश के लिये आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति मेंः–

(क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर/अभिलेख
(ख) आँगनबाड़ी अभिलेख और
(ग) माता–पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा।
(घ) आधार कार्ड

उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्य होगा, लेकिन माता–पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा की स्थिति में प्रवेश के बाद एक माह की अवधि में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र विद्यालय में देना होगा।

3. प्रवेश का टाईम फ्रेम :–

राज्य के सभी गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्सपर प्रवेश कार्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के सम्पन्न होने की एकरूपता की दृष्टि से निम्नानुसार टाईम फ्रेम निर्धारित किया जाता है :–

क्र.सं.	विवरण/गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	13 अप्रेल तक	राज्य सरकार व संबंधित निजी विद्यालय
2	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना	30 अप्रेल तक	संबंधित अभिभावक
3	ऑन लाईन लाटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण	2 मई	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
4	अभिभावकों द्वारा लॉटरी उपरान्त इच्छित विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना।	8 मई तक	सम्बन्धित अभिभावक
5	बालकों का विद्यालय में प्रवेश	9 मई से	संबंधित निजी विद्यालय
6	निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एन्ट्री	31 जुलाई तक	संबंधित निजी विद्यालय

नोटः क्र.सं. 1 पर अंकित गतिविधि ''**विज्ञापन जारी करना**'' के लिए संबंधित विद्यालय समाचार पत्रों/स्वयं की वेब साईट/स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन, पम्पलेट आदि का उपयोग कर व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करेंगे, जिससे विद्यालय में प्रवेश संबंधी जानकारी आम नागरिकों तक पहुॅच सके ।

1. संबंधित विद्यालय/अधिकारी को उपरोक्त टाईम फ्रेम में गतिविधि के सामने अंकित तिथि के अनुसार कार्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न करना होगा।
2. अपरिहार्य कारणों से राज्य सरकार उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन कर सकेगी।

4. आवेदन की प्रकिया :– अभिभावक विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑन लाईन आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

4.1. कोई भी अभिभावक अपने परिक्षेत्र के गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑन लाइन आवेदन कर सकता है।

4.2 सर्व प्रथम अभिभावक को आरटीई वेब पोर्टल www.rte.raj.nic.in को एक्सेस कर बालक एवं स्वयं के सम्बन्ध में पात्रता संबंधी आवश्यक सूचनाऐं प्रविष्ट करनी होंगी। आवेदन में मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करना आवश्यक है।

4.3 सूचना प्रविष्टि के बाद अभिभावक को एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड प्राप्त होगें। इस एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड का उपयोग कर अभिभावक को लॉगइन करना है तथा बालक व स्वयं के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाऐं प्रविष्ट करनी है।

4.4 ऑनलाइन आवेदन के समय बालक/माता–पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेश हेतु कक्षा, जन्म तिथि व अन्य सूचनाऐं सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करें। **इस प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रवेश प्रकिया में बाधक बन सकती है जिसका दायित्व संबंधित अभिभावक का होगा।**

4.5 अभिभावक एक बार ही ऑनलाइन सूचनाऐं प्रविष्ट कर अपने परिक्षेत्र(Catchment Area) के अधिकतम 15 इच्छित विद्यालयों का चयन कर सकता है।

4.6 ऑन लाइन आवेदन करने के बाद पोर्टल पर भरी गयी सूचनाओं को लॉक कर प्रिंट लेना है।

4.7 अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से भी दी गई है। अभिभावक गूगल प्ले स्टोर से **''राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप''** डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

5. विद्यालय में रिपोर्टिंग :–

5.1 ऑनलाइन लॉटरी निकलने के बाद अभिभावकों को आवेदन पत्र के प्रिंट आउट एवं आवश्यक दस्तावेज सहित इच्छित विद्यालय में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्टिंग करनी है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न रिपोर्टिंग प्रपत्र भी भरकर देना है तथा विद्यालय से इसकी पावती (Receipt) भी प्राप्त करनी है। आवेदन पत्र के प्रिंटआउट पर बालक/बालिका का फोटो लगाना अनिवार्य है।

5.2 विद्यालय में निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में बालक/बालिका प्रवेश का पात्र नही होगा। यदि कोई विद्यालय रिपोर्टिंग करवाने से मना करता है तो अभिभावक इसकी शिकायत लिखित में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को कर सकते है। सम्बन्धित कार्यालय रिपोर्टिंग नहीं करवाने वाले विद्यालय के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे।

5.3 वरीयता सूची निर्धारण हेतु निकाली गयी केन्द्रीकृत ऑनलाइन लॉटरी में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों के आधार पर वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाएगा। इस सूची के आधार पर ही वरीयता से विद्यालय बालकों को प्रवेश देंगे। विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट्स पर वरीयता सूची के सभी बालकों का विद्यालय में प्रवेश हो यह आवश्यक नहीं है। निःशुल्क प्रवेश पैरा–8 में वर्णित रोस्टर प्रक्रिया से होगा।

6. आवेदन पत्रों की जॉच : अभिभावकों से लॉटरी के उपरान्त रिपोर्टिंग के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की जायेगी। दस्तावेजों की वैधता के संबंध में स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है। आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की चैक लिस्ट निम्न प्रकार है :–

6.1''दुर्बल वर्ग'' के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजः–

6.1.1 अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये तक होने का प्रमाण पत्र

6.1.2 बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र

6.1.3 बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज

6.2''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजः–

6.2.1 बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अथवा बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र अथवा अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा अथवा

एचआईवी/केंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र अथवा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र अथवा पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये तक होने का प्रमाण पत्र अथवा बी.पी.एल. कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)

6.2.2 बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

6.2.3 बालक का आयु सम्बन्धी दस्तावेज।

6.3 आवेदन पत्रों के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज लॉटरी दिनांक से पूर्व की तिथियों में जारी होना आवश्यक है। लॉटरी दिनांक या उसके बाद की तिथियों में जारी दस्तावेज मान्य नही होगें।

6.4 अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई जानकारियों से सम्बन्धित दस्तावेज ही संलग्न करने हैं। ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज में उपलब्ध जानकारियों के भिन्न पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा। निःशुल्क प्रवेश हेतु अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज के अपूर्ण/असत्य पाये जाने पर विद्यालय सम्बन्धित बालक का प्रवेश निरस्त कर सकेगा लेकिन आवेदन निरस्त करने से पूर्व दस्तावेजों की जॉच कराया जाना आवश्यक है।

7. केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया :–

7.1 ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का प्रवेश हेतु वरीयता क्रम निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रेण्डम विधि से निर्धारित तिथि को राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जायेगा।

7.2 यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वरीयता सूची में विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर ऑन लाईन आवेदन करने वाले सभी बालकों के नाम सम्मिलित किये गये हैं। **अतः यह प्रवेश हेतु केवल वरीयता सूची है, इसे प्रवेश के लिए चयन सूची नहीं माना जावे।**

7.3 इस सूची का उपयोग शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेशित बालकों के साथ सम्मिलित कर निम्नानुसार निर्धारित रोस्टर प्रक्रिया में किया जाएगा। वास्तविक चयन के लिए रोस्टर के आधार पर तैयार की गई सूची ही मान्य होगी। विद्यालय इस सूची को अपनी वेबसाईट/नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे एवं सभी अभिभावकों को इसकी सूचना प्रेषित की जाएगी।

7.4 इस प्रकार अन्तिम रूप से प्रवेशित बालकों (शेष 75 प्रतिशत बालकों सहित) की सूची की विद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक वेब पोर्टल पर एन्ट्री की जाएगी।

8. प्रवेश के लिए रोस्टर प्रकिया :–

सॉफ्टवेयर द्वारा निःशुल्क प्रवेशित बालकों की वरीयता सूची एवं शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रविष्ट बालकों की सूची को निम्नांकित रोस्टर के आधार पर तैयार किया जायेगा :–

1.निःशुल्क प्रवेश	11.सामान्य प्रवेश	**21.निःशुल्क प्रवेश**	31.सामान्य प्रवेश
2.सामान्य प्रवेश	12.सामान्य प्रवेश	22.सामान्य प्रवेश	32.सामान्य प्रवेश
3.सामान्य प्रवेश	**13.निःशुल्क प्रवेश**	23.सामान्य प्रवेश	**33.निःशुल्क प्रवेश**
4.सामान्य प्रवेश	14.सामान्य प्रवेश	24.सामान्य प्रवेश	34.सामान्य प्रवेश
5. निःशुल्क प्रवेश	15.सामान्य प्रवेश	**25. निःशुल्क प्रवेश**	35.सामान्य प्रवेश
6.सामान्य प्रवेश	16.सामान्य प्रवेश	26.सामान्य प्रवेश	36.सामान्य प्रवेश
7.सामान्य प्रवेश	**17.निःशुल्क प्रवेश**	27.सामान्य प्रवेश	**37.निःशुल्क प्रवेश**
8.सामान्य प्रवेश	18.सामान्य प्रवेश	28.सामान्य प्रवेश	38.सामान्य प्रवेश
9.निःशुल्क प्रवेश	19.सामान्य प्रवेश	**29.निःशुल्क प्रवेश**	39.सामान्य प्रवेश
10.सामान्य प्रवेश	20.सामान्य प्रवेश	30.सामान्य प्रवेश	40.सामान्य प्रवेश

कुल निःशुल्क प्रवेश– 10 **सामान्य प्रवेश – 30**

- उपरोक्त रोस्टर एन्ट्री कक्षा के लिए 40 बालकों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। संख्या अधिक होने पर यहीं प्रकिया निरन्तर जारी रहेगी।

- 40 से कम प्रवेश होने की स्थिति में जिस रोस्टर बिन्दु तक प्रवेश होंगे वहां तक निःशुल्क प्रवेशित एवं सामान्य प्रवेशित बालकों की संख्या का निर्धारण होगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी विद्यालय में 18 प्रवेश हो तो उनमें से 5 निःशुल्क प्रवेशित तथा 13 सामान्य प्रवेशित बालक होंगे।
- प्रवेश प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण **परिशिष्ट– 4** पर सलंग्न है।

9. प्रवेश, सत्यापन व पुनर्भरण कार्य की मॉनिटरिंग :

निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश, सत्यापन व पुनर्भरण के कार्य की सतत मॉनिटरिंग सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि. प्रथम/द्वितीय) द्वारा की जाएगी।

अध्याय–3 : भौतिक सत्यापन प्रकिया

10. गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया :–

10.1 भौतिक सत्यापन हेतु कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

10.1.1 सत्यापन दलों का गठन :–

10.1.1.1 जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अपने–अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों की संख्या के आधार पर सत्यापन दलों का गठन करेंगे।

10.1.1.2 राज्य के ऐसे समस्त गैर सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है जो कक्षा–1 या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से प्रारम्भ होते हैं।

10.1.1.3 एक सत्यापन दल को सामान्यतया 5 विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा। आवंटन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि गत सत्र में गठित सत्यापन दलों की यथावत पुनरावृति नही हो तथा उनको आवंटित विद्यालय भी परिवर्तित हो जायें।

10.1.1.4 सत्यापन दल का अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी होगा तथा एक अन्य सदस्य उपलब्धता के आधार पर व्याख्याता / व. अ. / अध्यापक / लिपिक वर्ग होगा।

10.1.1.5 प्रारम्भिक शिक्षा में पर्याप्त संख्या में राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में दलों के अध्यक्ष के रूप में माध्यमिक शिक्षा से प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / व्याख्याता लिए जा सकेगें तथा शेष एक सदस्य प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय / अध्यापक में से लिया जायेगा।

10.1.1.6 दलों के गठन में यह ध्यान रखा जायेगा कि उन्हीं विद्यालयों से प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / व्याख्याता / वरिष्ठ अध्यापक / शिक्षक सत्यापन दलों में लगाये जाऐं जिनमें पर्याप्त संख्या में शिक्षक पदस्थापित हैं, जिससे विद्यालयों में शिक्षण कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

10.1.2 विशेष सत्यापन दलों का गठनः–

10.1.2.1 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा अपने अधीन विद्यालयों के सेम्पल सत्यापन के लिए आवश्यकतानुसार विशेष दलों का गठन करेगें।

10.1.2.2 यह विशेष सत्यापन दल जिले में विद्यालयों की संख्या का एक प्रतिशत अथवा 20 विद्यालय, जो भी अधिक हों, का अनिवार्य रूप से सत्यापन करेंगे। ये विशेष दल उन विद्यालयों का पुनः सत्यापन करेंगे जो सत्यापन दलों द्वारा सत्यापित किए जा चुके हैं। निरीक्षण से पूर्व उन विद्यालयों की मूल सत्यापित रिपोर्ट को साथ लेकर जाऐगें तथा मूल सत्यापन से भिन्नता पाये जाने पर विशेष सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा मूल सत्यापन रिपोर्ट में लाल स्याही के पैन से आवश्यक संशोधन किये जाऐंगें।उक्त संशोधन विद्यालय प्रति एवं कार्यालय प्रति दोनों में किये जाएगें।

10.1.2.3 विद्यालय द्वारा विशेष सत्यापन दल द्वारा संशोधित सत्यापन रिपोर्ट को ही आरटीई वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा संबंधित कार्यालय द्वारा उसी के अनुरूप इसका मिलान कर सत्यापन किया जाएगा।

10.1.2.4 विशेष जांच दल द्वारा निरीक्षण किए गए विद्यालयों की सूचना की प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगइन से करनी है।

10.1.3 सत्यापन दलों का प्रशिक्षण :–

10.1.3.1 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं ब्लॉक प्रारभिक शिक्षा अधिकारी अपने–अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों के लिए गठित सत्यापन दलों का प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। बिना प्रशिक्षण के किसी भी सत्यापन दल को सत्यापन हेतु विद्यालय में नही भेजा जाएगा।

10.1.3.2 प्रशिक्षण के दौरान सत्यापन दलों को ''दुर्बल वर्ग'' व ''असुविधाग्रस्त समूह'', प्रवेश हेतु कैंचमेन्ट एरिया, आयु पॉलिसी व एन्ट्री कक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

10.1.3.3 निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश की ऑफलाइन व ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सत्यापन दलों को दी जाएगी।

10.1.3.4 यह जानकारी राज्य सरकार द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के आधार पर दी जाएगी। यह दिशा निर्देश आरटीई वेब पोर्टल http://www.rte.raj.nic.in पर उपलब्ध हैं।

10.1.3.5 सत्यापन दलों को संबंधित विद्यालयों के नाम की सूची मय पता, मोबाइल नम्बर, लैण्डलाइन नम्बर उपलब्ध करवायी जाएगी तथा सत्यापन दलों के दिशा–निर्देशो की एक–एक प्रति भी दी जाएगी।

10.1.3.6 जिला व ब्लॉक के आरटीई प्रभारी अधिकारियों के फोन नम्बर भी सत्यापन दलों को उपलब्ध करवायें जायें जिससे सत्यापन दल आवश्यकता पड़ने पर जानकारी प्राप्त कर सकें।

10.2 सत्यापन दल द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

10.2.1 सर्व प्रथम सत्यापन दल विद्यालयों को सूचित करेंगे कि विद्यालय अपने लॉगइन से निरीक्षण प्रतिवेदन की दो प्रतियों का प्रिंट आउट लेकर तैयार रखें तथा निरीक्षण दल के अवलोकन हेतु बालकों के आवेदन पत्र मय संलग्नक व रिपोर्टिंग प्रपत्र, कैशबुक, रसीद् बुक, एसआर रजिस्टर, कक्षा उपस्थिति रजिस्टर व पूर्व के सत्रों में आय के आधार पर प्रवेशित बालकों (केवल सामान्य, ओबीसी व एसबीसी वर्ग के लिए) के आय प्रमाण–पत्र तैयार रखें।

10.2.2 सत्यापन दल, विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रिंट आउट के आधार पर ही विद्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन में पूर्व से भरी सूचनाओं व बालकों का भौतिक सत्यापन करेंगे।

10.2.3 जिन विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर एक भी प्रवेश नहीं हुआ है उन विद्यालयों में प्रवेश न होने का कारण पूछा जाएगा तथा विद्यालय की अन्य सूचनाओं का सत्यापन किया जाएगा।

10.2.4 प्रतिवेदन में भरी सूचनाओं में यदि कोई सूचना गलत है तो उस पर गोला करना है तथा उसके पास ही सही सूचना को अंकित करना है।

10.2.5 निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रविष्ट विद्यालय की स्थिति, स्तर, मान्यता, एण्ट्री कक्षा व आयु पॉलिसी की ध्यानपूर्वक जॉच करने के बाद ही इनको सत्यापित करें।

10.2.6 निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन कर पुनर्भरण योग्य पाये गये बालकों को सत्यापित करेंगे।जिन बालकों के प्रवेश पुनर्भरण योग्य नहीं पाये जावें उनके अयोग्य होने के कारणों के कोड अंकित करने हैं।

10.2.7 सत्यापन दल निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की नियमित उपस्थिति की भी जॉच करेंगे। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक ड्राप–आउट पाया जाए तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे।

10.2.8 यह ध्यान रहे कि पूर्व के सत्रों में प्रवेश के बाद यदि शहरी निकाय अथवा ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के कारण बालकों अथवा विद्यालय का ग्राम/वार्ड/ग्राम पंचायत क्षेत्र/शहरी निकाय क्षेत्र बदल गया है तो पूर्व के सत्रों में प्रवेशित बालकों की निःशुल्क शिक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, उनकी निःशुल्क शिक्षा जारी रहेगी।

10.2.9 सत्यापन दल विद्यालय के अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जॉच कर विद्यालय द्वारा अन्य बालकों से ली जा रही फीस का सत्यापन करेंगे। फीस के सत्यापन के लिए विद्यालय के अभिलेखों यथा कैशबुक, रसीदबुक, फीस संधारण रजिस्टर का निरीक्षण करेंगें। यदि आवश्यक हो तो बालकों एवं अभिभावकों से बात की जाकर फीस की पुष्टि कर ली जावे। सत्यापन दल द्वारा निर्देशों के विपरीत गलत तरीके से अथवा अभिलेखों का अवलोकन किये बिना ही फीस का आकलन कर राशि अंकित करने एवं पुनर्भरण की अनुशंषा करने पर गलत/अनियमित भुगतान होने की स्थिति में सत्यापन दल का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

10.2.10 भौतिक सत्यापन दल द्वारा विद्यालय से किसी भी दस्तावेज की छाया प्रति देने की मांग नहीं की जाएगी ओर न ही निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाऐंगी। भौतिक सत्यापन दल द्वारा

जो भी रिकॉर्ड अवलोकित किया जाए प्रमाण के रूप में दल के अध्यक्ष द्वारा अवलोकित दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित की जाएगी।

10.2.11 प्रवेशित बालकों के आवेदन पत्र व संलग्न दस्तावेजों की जॉच, इन दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या–2 में प्रवेश की पात्रता में दिये गये विवरण के अनुसार की जायेगी।

10.2.12 सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन ही संबंधित संस्था प्रधान/प्रभारी को प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर उपलब्ध करवाई जाएगी तथा दूसरी प्रति संबंधित बीईईओ/डीईओ (मा.शि.) कार्यालय में जमा करवाई जाएगी।

10.2.13 सत्यापन दल के द्वारा उपलब्ध करवाये गये निरीक्षण प्रतिवेदन को गैर–सरकारी विद्यालय द्वारा तत्काल आरटीई वेब पोर्टल पर अपलोड करना है।

10.3 सत्यापन प्रतिवेदन का कार्यालय द्वारा मिलान :–

10.3.1 संबंधित बीईईओ/डीईओ माध्यमिक कार्यालय द्वारा सत्यापन दल से प्राप्त प्रतिवेदन की दूसरी प्रति से विद्यालय द्वारा ऑन–लाइन प्रविष्ट किये गये सत्यापन प्रतिवेदन से मिलान कर पोर्टल पर **सही पाया गया/सही नहीं पाया गया** का चयन किया जाएगा।

10.3.2 कार्यालय स्तर पर **सही पाया गया** का चयन करने की स्थिति में विद्यालय अपना ऑन लाईन क्लेम बिल निर्धारित प्रपत्र में जनरेट कर सकेगा परन्तु कार्यालय स्तर पर **सही नहीं पाया गया** का चयन करने की स्थिति में रिपोर्ट पुनः स्कूल लॉगिन में दिखने लगेगी जिसे विद्यालय द्वारा पुनः ठीक किया जाएगा और कार्यालय स्तर पर उसे पुनः मिलान कर सही पाया गया का चयन किया जाएगा तभी विद्यालय अपना क्लेम बिल पोर्टल पर जनरेट कर सकेगा।

10.4 भौतिक सत्यापन का टाइम फ्रेमः

क्र.सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	निर्धारित तिथियॉ
1	भौतिक सत्यापन दलों का गठन व प्रशिक्षण	31.07.2017 तक
2	विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य	01.08.2017 से 30.08.2017 तक
3	विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	01.08.2017 से 07.09.2017 तक
4	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना	01.08.2017 से 15.09.2017 तक

नोटः 1. उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया में आवश्यकता पड़ने पर निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा तथा राज्य सरकार द्वारा यथासमय वांछित निर्देश दिये जा सकेंगे।

2.विद्यालयों व कार्यालयों द्वारा अनिवार्यतः उपर्युक्त टाइम फ्रेम के अनुसार समस्त कार्य सम्पादित किया जाना है।

अध्याय–4 : पुनर्भरण प्रक्रिया

11. पुनर्भरण प्रक्रिया :

11.1 भौतिक सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने पर विद्यालय द्वारा वेब पोर्टल के माध्मय से पुनर्भरण हेतु दावा प्रपत्र (Claim Bill) बिल जनरेट किया जाएगा तथा इस पर विद्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मयसील होगें। इस बिल की दो हार्ड कापी संबंधित बीईईओ/डीईओ माध्यमिक कार्यालय में रजिर्स्टड एडी डाक से प्रेषित करनी होंगी। आरटीई वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड डाक प्रेषण की दिनांक व क्रमांक फीड किये जाएंगे। संबंधित बीईईओ/डीईओ (माध्यमिक) कार्यालय इस प्रकार रजिस्टर्ड AD डाक से प्राप्त क्लेम बिल का एक अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड संधारित करेंगें।

11.2 विद्यालय क्लेम बिल जनरेट करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि उसे निःशुल्क भूमि/भवन/उपस्कर आदि में से कुछ आवंटन निःशुल्क/रियायती दरों पर प्राप्त है तो ऐसे निःशुल्क/रियायती दरों पर आवंटन के आदेश में विद्यालय जितने बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की शर्त के अध्याधीन है, उसे उतने बालकों के संबंध में प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। अतः मांग की राशि में से उक्त बालकों की संख्या के आधार पर बनने वाली प्रतिपूर्ति की राशि को घटाकर शुद्व मांग की जायेगी।

11.3 बीईईओ/डीईओ माध्यमिक कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त दावा प्रपत्र (Claim bill) के आधार पर भुगतान स्वीकृति आदेश (Pass order) बना कर ट्रेजरी के माध्यम से विद्यालयों के खातों में ऑनलाइन पुनर्भरण किया जाएगा। प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण के लिए कार्यालयों को बजट का आवंटन निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण के लिए बजट का आवंटन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा किया जाएगा।

11.4 **उपयोगिता प्रमाण पत्र** :– प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित किया जाएगा।

11.5 **विद्यालयों को फीस के पुनर्भरण हेतु टाइम फ्रेमः**

क्र. सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	निर्धारित तिथियॉ	
		प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त
1	विद्यालयों द्वारा दावा प्रपत्र (Claim bill) निकाल कर कार्यालयों में प्रेषित करना।	01.08.2017 से 21.09.2017 तक	02.04.2018 से 23.05.2018 तक
2	कार्यालयों द्वारा प्राप्त दावा प्रपत्रों (Claim bills) के आधार पर भुगतान स्वीकृति आदेश (Pass order) बनाकर ट्रेजरी भिजवाना।	08.08.2017 से 30.09.2017 तक	10.04.2018 से 31.05.2018 तक
3	निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश देने वाले सभी पात्र विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण सुनिश्चित करना।	14.10.2017 तक	15.06.2018 तक
4	सम्बन्धित निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करना।	28.10.2017 तक	29.06.2018 तक

नोटः 1.पुनर्भरण हेतु उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया में आवश्यकता होने पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा समय वांछित संशोधन किया जा सकता है।

2.विद्यालयों व कार्यालयों द्वारा अनिवार्यतः उपर्युक्त टाइम फ्रेम के अनुसार समस्त कार्य सम्पादित किया जाना है।

परिशिष्ट – 1 (संदर्भित अध्याय–1)
आदेश/परिपत्रों का सारांश

- **विशेष आवश्यकता वाले बालकों का प्रवेशः** – विकलांगता से ग्रसित बालक–बालिकाओं को अधिनियम के प्रावधानानुसार अनिवार्यतः विद्यालय में प्रवेश दिया जाकर उनके लिए समुचित शैक्षणिक, वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने संबंधी आदेश दि.12.9.2011 को जारी किये गये।

- **विद्यालयों द्वारा बालकों से लिये जा रहे शुल्क के स्थान पर अनुदान/दान/चंदा/सहयोग के नाम से रसीदे काटना** :–25 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेशित बालकों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉस्ट अथवा विद्यालय द्वारा बालकों से ली जाने वाली फीस, जो भी कम हो का किया जाता है। अतः यदि विद्यालयों द्वारा अभिभावकों/बालकों से अनुदान/दान/चंदा/सहयोग आदि लिये जा रहे है तो यह राशि पुनर्भरण के योग्य नहीं मानी जायेगी।

- **25 प्रतिशत सीट्स पर लिये गये प्रवेश का सत्यापन** :– 25 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेश का कार्य प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक गैर सरकारी संस्थाओं के मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक गैर सरकारी संस्थाओं के मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वारा अपने–अपने क्षेत्राधिकार में संपन्न किया जाएगा। (परिपत्र दि.19.10.2012)

- **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में प्रवेश के लिए कक्षा प्रथम अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रथम कक्षा चाहे वह किसी भी नाम से संचालित हो, मान्य होगी। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अधिकतम अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। पूर्व प्राथमिक कक्षा की स्थिति में बालक की न्यूनतम आयु 3 वर्ष की होगी। कुछ विद्यालय **प्ले ग्रुप** भी संचालित कर रहे है **लेकिन प्ले ग्रुप निःशुल्क प्रवेश के लिए मान्य नहीं होगा।** (दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)

- **अभिभावकों द्वारा निःशुल्क प्रवेशित बालकों के विद्यालय परिवर्तन के सम्बन्ध में** :–यदि कोई अभिभावक स्वेच्छा से अपने बालक को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरित करना चाहता है तो विद्यालय परिवर्तन होते ही वह बालक फीस के पुनर्भरण का पात्र नहीं माना जावेगा। (दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)

- **अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र लिया जाना** :– निःशुल्क प्रवेश के लिए असुविधाग्रस्त समूह एवं कमजोर वर्ग में सम्मिलित किये गये बालकों की एक श्रेणी अभिभावकों की वार्षिक आय (वर्तमान में रूपये 2.5 लाख या कम) के आधार पर निर्धारित की हुई है। आय के आधार पर प्रवेशित बालकों के अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय का प्रमाण पत्र लेना होगा तथा उस आय के आधार पर ही फीस के पुनर्भरण की पात्रता पर विचार किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र बालक के प्रवेश दिये जाने वाले दिनांक के पूर्व के वित्तीय वर्ष (1अप्रैल से 31 मार्च) की आय के संबंध में होगा (परिपत्र दि.19.10.2012 एवं दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2017–18 से आय के आधार पर निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश केवल उन्ही बालक/बालिकाओं का होगा जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये तक है। अतः इन बालक–बालिकाओं के लिए प्रतिवर्ष 1.00 लाख रूपये तक की वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र लिया जायेगा।

- **निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालकों की पाठ्यपुस्तकों के संबंध में**:– राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक निर्धारित व्यय (यूनिट कॉस्ट) में पाठ्यपुस्तकों की कीमत सम्मिलित की गई है। अतः सम्बन्धित पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश लेने वाले बालकों को पाठ्यपुस्तकें विद्यालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। (दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)

परिशिष्ट–2 (संदर्भित अध्याय–2 का पैरा 1)

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा(आयोजना) अनुभाग

क्रमांकः प.21(19)प्रा.शि. / आयो. / 2009 जयपुर, दिनांकः 17.1.2014

समस्त जिला कलक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,
समस्त जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।

विषयः इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.04.2011 द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कियान्वयन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के स्पष्टीकरण के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.04.2011 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के प्रावधानानुसार निजी विद्यालयों को कक्षा 1 में प्रवेश देने वाले बालकों की कुल संख्या का कम से कम 25ः%सीट्स पर कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद समूह वर्ग के बालकों को प्रवेश देना बाध्यकारी होगा। यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई निजी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षायें संचालित करता है तो पूर्व प्राथमिक कक्षा हेतु भी कम से कम 25% सीट्स पर कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद समूह वर्ग के बालकों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ निजी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षा एवं कक्षा 1 में समानान्तर रूप से सीधे प्रवेश देते हे। अतः ऐसे विद्यालयों हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है।

''जो निजी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षा की एन्ट्री कक्षा के साथ–साथ कक्षा 1 में भी सीधे प्रवेश दे रहे है, ऐसे निजी विद्यालयों को पूर्व प्राथमिक एवं कक्षा–1 में प्रवेश लेने वाले बालकों की कुल संख्या का कम से कम 25% सीट्स पर पृथक–पृथक कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद समूह वर्ग के बालकों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा''।

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव–शिक्षा, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर पालना सुनिश्चित करने के कम में।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रारम्भिक शिक्षा / प्रथम / तृतीय / शिक्षा(ग्रुप–5) विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट – 3 (संदर्भित पेरा–4.1)

प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप

विद्यालय का नाम...

आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर ''दुर्बल वर्ग'' एवं ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालकों के प्रवेश हेतु

आवेदन–पत्र

(भाग–अ)

प्रवेशार्थी का फोटो

1. प्रवेशार्थी की सूचनाः–

1.1 प्रवेश हेतु कक्षा ....

1.2 प्रवेशार्थी का नाम...

1.3 लिंग ....

1.4 आधार न. (यदि उपलब्ध हो)...

1.5 जन्म तिथि (अंको में) ....../....../........ (शब्दों में)..

1.6 जाति वर्ग (SC/ST/OBC/SBC/GEN) ....

1.7 प्रवेशार्थी का धर्म ....

1.8 क्या प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता (CWSN) श्रेणी मे आता है ? ....

2. प्रवेशार्थी के अभिभावक से सम्बन्धित सूचनाः–

2.1 पिता का नाम... .2.2 आधार न. (यदि उपलब्ध हो)...................................

2.3 माता का नाम... 2.4 आधार न. (यदि उपलब्ध हो)...................................

2.5 संरक्षक का नाम (यदि लागू हो)................................2.6 आधार न. (यदि उपलब्ध हो)..................................

2.7 क्या अभिभावक (BPL) श्रेणी के अर्न्तगत आते है ? ....

2.8 संरक्षक/अभिभावक (परिवार) की कुल वार्षिक आय (रूपये में)– ....

2.9 माता/पिता/संरक्षक का मोबाइल नं. | | | | | | | | | | |

3. माता/पिता/संरक्षक का पूरा पता (संलग्न दस्तावेज के अनुसार):–

....

ग्राम का नाम/वार्ड नं0... पिन कोड | | | | | | |

ग्राम पंचायत या नगर पालिका/परिषद/निगम का नाम ....

ब्लॉक .... जिला...

4. प्रवेशार्थी का वर्ग(संबंधित बॉक्स मे ✓ करें):–

4.1 दुर्बल वर्ग

4.1.1 अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये तक है। ☐

4.2 असुविधाग्रस्त समूह

4.2.1 अनुसूचित जाति ☐

4.2.2 अनुसूचित जनजाति ☐

4.2.3 बालक अनाथ आश्रम का निवासी है। ☐

4.2.4 बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक एचआईवी से प्रभावित है। ☐

4.2.5 बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक केंसर ग्रस्त है। ☐

4.2.6 बालक की माता युद्ध विधवा है। ☐

4.2.7 बालक निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में है। ☐

विशेष आवश्यकता की श्रेणी....................................

4.2.8 पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये तक है। ☐

4.2.9. बीपीएल ☐ बीपीएल क्रमांक.................. केन्द्र/राज्य सूची...................

नोट :–1 आयु, जाति, निवास स्थान, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

2. बालक/बालिका की आधार संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में 30 जून, 2017 से पूर्व बालक/बालिका का आधार कार्ड बनवाया जाना अथवा आधार कार्ड हेतु पंजीयन करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा यह नम्बर शीघ्र ही सम्बन्धित विद्यालय को उपलब्ध करावें।

3. ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के संलग्न दस्तावेजों से मिलान नहीं होने पर अथवा किसी दस्तावेज के अपूर्ण/गलत पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

(भाग–ब)

माता / पिता / संरक्षक द्वारा सशपथ घोषणा

1. मैं सशपथ घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन में प्रवेशार्थी, व स्वयं के संबंध में दी गई समस्त सूचनाऐ सही हैं। किसी भी प्रकार की गलत सूचना के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी।
2. मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि विद्यालय के नियमों / उप नियमों का सदैव पालन करूँगा / करूँगी।

आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक : ....

हस्ताक्षर / अगूँठे का निशान

(माता / पिता / संरक्षक)

''दुर्बलवर्ग'' / ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालकों का आरटीई एक्ट के अन्तगर्त निःशुल्क प्रवेश हेतु

<u>रिर्पोटिंग प्रपत्र (विद्यालय प्रति)</u>

1. विद्यालय का नाम : ....
2. विद्यालय का पता (मय वार्ड नं. व ब्लॉक):...
3. प्रवेशार्थी का नाम :.. पुत्र/पुत्री...
4. प्रवेश हेतु कक्षा :.............5. ऑनलाइन लॉटरी दिनांकः......../......./............ 6. वरीयता क्रमांकः ....
7. प्रवेशार्थी का आवेदन पत्र मय निम्नांकित दस्तावेजों के आज दिनांकः................ को विद्यालय को प्राप्त हो गया है। विद्यालय में बालक के प्रवेश सुनिश्चित होने पर विद्यालय द्वारा अभिभावक को सूचित कर दिया जाएगा तथा सूचना प्राप्ति के अगले तीन कार्य दिवसों में अभिभावक को बालक का प्रवेश विद्यालय में कराना होगा। प्राप्त दस्तावेजों की सूची (सही के आगे ✓ करें):–

–बालक का आयु प्रमाण पत्र	☐	–बी.पी.एल. प्रमाण पत्र	☐
–अभिभावक का निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र	☐	–बालक के अनाथ होने संबंधी घोषणा	☐
–अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण पत्र	☐	–बालक का निःशक्तजन संबंधित प्रमाण पत्र	☐

–बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक के एचआईवी प्रभावित होने की रिपोर्ट ☐
–बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक के केंसर ग्रस्त होने की रिपोर्ट ☐
–बालक की माता के युद्ध विधवा होने का प्रमाण–पत्र ☐
– अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र ☐

हस्ताक्षर/अगूँठे का निशान
अभिभावक

हस्ताक्षर
(संस्था प्रधान/अधिकृत शिक्षक मय सील)

''दुर्बलवर्ग'' / ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालकों का आरटीई एक्ट के अन्तगर्त निःशुल्क प्रवेश हेतु
<u>रिर्पोटिंग प्रपत्र (अभिभावक प्रति)</u>

1. विद्यालय का नाम : ....
2. विद्यालय का पता (मय वार्ड नं. व ब्लॉक):...
3. प्रवेशार्थी का नाम :.. पुत्र/पुत्री...
4. प्रवेश हेतु कक्षा :.............5. ऑनलाइन लॉटरी दिनांकः......../......./............ 6. वरीयता क्रमांकः ....
7. प्रवेशार्थी का आवेदन पत्र मय निम्नांकित दस्तावेजों के आज दिनांकः................ को विद्यालय को प्राप्त हो गया है। विद्यालय में बालक के प्रवेश सुनिश्चित होने पर विद्यालय द्वारा अभिभावक को सूचित कर दिया जाएगा तथा सूचना प्राप्ति के अगले तीन कार्य दिवसों में अभिभावक को बालक का प्रवेश विद्यालय में कराना होगा। प्राप्त दस्तावेजों की सूची (सही के आगे ✓ करें):–

–बालक का आयु प्रमाण पत्र	☐	–बी.पी.एल. प्रमाण पत्र	☐
–अभिभावक का निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र	☐	–बालक के अनाथ होने संबंधी घोषणा	☐
–अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण पत्र	☐	–बालक का निःशक्तजन संबंधित प्रमाण पत्र	☐

–बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक के एचआईवी प्रभावित होने की रिपोर्ट ☐
–बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक के केंसर ग्रस्त होने की रिपोर्ट ☐
– बालक की माता के युद्ध विधवा होने का प्रमाण–पत्र ☐
– अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र ☐

हस्ताक्षर/अगूँठे का निशान
अभिभावक

हस्ताक्षर
(संस्था प्रधान/अधिकृत शिक्षक मय सील)

परिशिष्ट – 4 (संदर्भित अध्याय– 2 का पैरा–8)
प्रवेश प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण

उदाहरण– 1 : एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं जिनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव से संबंधित है तथा शेष वार्ड अन्य छोटे गांवों और ढाणियों से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी :–

1. विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में सीट्सकी संख्या– 40
2. अधिनियम 2009 के अनुसार : 25 प्रतिशत सीट्सकी संख्या– 10
3. ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र– 50
4. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त आवेदन– 30
5. ग्राम पंचायत के अन्य गांव/ढाणी से प्राप्त आवेदन– 20

उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त सभी–50 आवेदन पत्र शामिल किये जाऐंगे लेकिन विद्यालय जिस गांव में स्थित है, उस गॉव के 30 आवेदनों को सर्वप्रथम रैण्डम किया जाकर सूची तैयार की जाएगी तथा ग्राम पंचायत के अन्य गांव व ढाणी से प्राप्त शेष 20 आवेदनों को रैण्डम करने के बाद उस सूची में नीचे जोड़ा जाएगा। इस सूची में से ही वरीयता के आधार पर बालकों को प्रवेश दिया जाएगा, यदि कोई बालक प्रवेश नहीं लेता है तो वरीयता सूची में से अगले बालक को प्रवेश दिया जाएगा। नियमों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार विद्यालय से संबंधित गांव के बालकों को निःशुल्क प्रवेश में वरीयता दी जाती है।

यही उदाहरण शहरी क्षेत्र के विद्यालय पर भी समान रूप से लागू होगा, लेकिन शहरी क्षेत्र में प्राथमिकता उस वार्ड के बालकों को मिलेगी, जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है।

उदाहरण– 2 : एक निजी विद्यालय शहरी क्षेत्र के वार्ड संख्या 17 में स्थित है। इस शहरी निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम) में कुल 45 वार्ड है, ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी :–

1. विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में सीट्सकी संख्या– 60
2. अधिनियम 2009 के अनुसार : 25 प्रतिशत सीट्सकी संख्या– 15
3. शहरी निकाय परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र– 80
4. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से विद्यालय से संबंधित वार्ड सं. 17 से प्राप्त आवेदन– 10
5. शहरी निकाय के अन्य समस्त 44 वार्डो से प्राप्त आवेदन– 70

उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में शहरी निकाय परिक्षेत्र से प्राप्त सभी–80 आवेदन पत्र शामिल किये जाऐंगे, लेकिन विद्यालय जिस वार्ड में स्थित है, उस वार्ड संख्या–17 के 10 आवेदनों को सर्वप्रथम रैण्डम किया जाकर सूची तैयार की जाएगी तथा शहरी निकाय के शेष 44 वार्डों से प्राप्त 70 आवेदनों को रैण्डम करने के बाद उस सूची में नीचे जोड़ा जाएगा। इस सूची में से ही वरीयता के आधार पर बालकों को प्रवेश दिया जाएगा, यदि कोई बालक प्रवेश नहीं लेता है तो वरीयता सूची में से अगले बालक को प्रवेश दिया जाएगा। नियमों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार विद्यालय से संबंधित वार्ड के बालकों को निःशुल्क प्रवेश में वरीयता दी जाती है।

यही उदाहरण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय पर भी समान रूप से लागू होगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिकता उस गॉव के बालकों को मिलेगी, जिस गॉव में विद्यालय स्थित है।

नोटः विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु आरक्षित सीट्सपर प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक पात्र नहीं पाये जाने की स्थिति में भी विद्यालय के कैचमेन्ट एरिया से बाहर के बालकों को इन सीट्सपर प्रवेश नहीं दिया जाऐगा।

परिशिष्ट – 5
सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रश्न – 1 यदि किसी कारणवश निःशुल्क प्रवेशित बालक शैक्षिक सत्र के बीच में विद्यालय छोड़ दे तो इसके पुनर्भरण का क्या होगा ?
उत्तर – गैर सरकारी विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेशित केवल उन्हीं छात्रों का पुनर्भरण होगा जो सत्र पर्यन्त अध्ययनरत रहा है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ने/टी.सी.लेकर अन्य विद्यालय में चले जाने/बिना टी. सी. लिये किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लेने/छात्र की मृत्यु हो जाने आदि कारणों से उस विद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहा हो, तो ऐसे छात्र की फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा यह सत्यापन दल सुनिश्चित करेगा। सत्यापन दल यह भी आकलन करेगा कि विद्यालय से ड्राप आउट बालकों की फीस के पुनर्भरण पेटे कितनी राशि विद्यालय को भुगतान की जा चुकी है। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक सत्रारम्भ से 31 अगस्त के मध्य कभी भी उपरोक्त वर्णित कारणों से ड्राप आउट हुआ है तो विद्यालय को उस बालक के सम्बन्ध में प्रथम किश्त का तो पुनर्भरण होगा परन्तु द्वितीय किश्त का पुनर्भरण नहीं होगा।

प्रश्न – 2 न्यून आय के आधार पर प्रवेशित बालक–बालिकाओं के निःशुल्क प्रवेश के पुनर्भरण हेत क्या सावधानी बरतनी आवश्यक है ?
उत्तर – सत्यापन दलों द्वारा निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं न्यून आय के आधार पर प्रवेशित बालकों के अभिभावकों द्वारा प्रत्येक सत्र के लिए प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र देखकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बालक चालू सत्र में न्यनू आय वर्ग में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु पात्र है। यदि अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो गई है तो बालक विद्यालय में तो अध्ययनरत रहेगा लेकिन उसकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। ऐसे छात्रों के नाम सत्यापन दल अपने प्रतिवेदन में पुनर्भरण हेतु सूची में सम्मिलित नहीं करेंगे। यहाॅ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2017–18 से आय के आधार पर निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश केवल उन्ही बालक/बालिकाओं का होगा जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये तक है। अतः इन बालक–बालिकाओं के लिए प्रतिवर्ष 1.00 लाख रूपये तक की वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र लिया जायेगा।

प्रश्न – 3 निजी स्कूलों के भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु राज्य सरकार से क्या निर्देश है ?
उत्तर – बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्कूल भवन होना आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि जो निजी शैक्षिक भवन 50 वर्ष तक पुराने है, उनके संबंध में प्रत्येक 3 साल में एक बार च्ॅण्क्ण अथवा अन्य राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियन्ता से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लिया जावे।

प्रश्न – 4 यदि किसी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं 3 वर्ष की है, तो उसे वेब पोर्टल पर एन्ट्री लेवल कक्षा कौनसी भरनी है ?
उत्तर – जिस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से पूर्व) 3 वर्ष की है, उन्हें वेब पोर्टल पर च्च्ण्3 कक्षा में फीडिंग करनी है, जिस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं दो वर्ष की है, उन्हें वेब पोर्टल पर च्च्ण्4 में फीडिंग करनी है तथा जिस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक वर्ष की हैं, उन्हें च्च्ण्5 में फीडिंग करनी है।

प्रश्न – 5 यदि कोई विद्यालय पूर्णतः बाहरी अनुदान से संचालित होता है तथा किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। क्या उस विद्यालय को आरटीई के अन्तर्गत 25प्रतिशत सीट्सपर निःशुल्क प्रवेश देने हैं?
उत्तर – ऐसे विद्यालयों को भी 25 प्रतिशत सीट्सपर ''दुर्बलवर्ग'' व ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया से बालकों को निःशुल्क प्रवेश देने है। लेकिन इन विद्यालयों को पुनर्भरण देय नहीं होगा।

प्रश्न – 6 यह कैसे स्पष्ट हो कि कोई विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय की श्रेणी में आता है तथा वह आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश के दायरे से बाहर है ?
उत्तर – राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29/30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाऐं घोषित की जाती है। अतः इन विभागों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही विद्यालय को अल्पसंख्यक की श्रेणी में माना जायेगा।

––––––––––